रांची, बुधवार, 22 .05 .2019

बढ़ती नारी भागीदारी

चुनाव जैसी महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आकलन में हार-जीत और समीकरणों के अलावा कई अन्य आयाम होते हैं, जिनके आधार पर भारत की बदलती तस्वीर को देखा जा सकता है. ऐसा ही एक आयाम हैं महिला मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी. मौजूदा आम चुनाव में 13 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पुरुषों से अधिक संख्या में महिलाओं ने मतदान किया है. ये प्रदेश हैं- केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, मणिपुर, मेघालय, पुदुचेरी, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप. पूरे देश का हिसाब लें, तो पुरुष और महिला मतदाताओं की भागीदारी का अंतर भी अब मामूली रह गया है. साल 2009 में यह आंकड़ा नौ फीसदी था, जबकि 2014 के चुनाव में यह अंतर 1.4 फीसदी रह गया था. 2019 में यह अंतर महज 0.4 फीसदी है. गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक ऐसे राज्य रहे हैं, जहां पुरुषों ने महिलाओं से बहुत अधिक मतदान किया है, लेकिन यह संतोषजनक है कि इन राज्यों में भी पिछले चुनाव की तुलना में महिलाओं की भागीदारी में बढ़त रही. इन आंकड़ों में उन राज्यों की संख्या बढ़ सकती है, जहां महिलाओं की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी रही है. साल 2014 में ऐसे राज्यों की कुल संख्या 16 रही थी. ऐसे समय में, जब देश के अनेक हिस्सों में लिंगानुपात का स्तर चिंताजनक है तथा कार्य बल में भी महिलाओं की संख्या बहुत कम है, मतदान में उनकी बढ़त एक स्वागतयोग्य संकेत है. यह हमारे लोकतंत्र के मजबूत होने का सबूत है. साल 1962 के तीसरे आम चुनाव में 46.6 फीसदी महिलाओं ने मतदान किया था, जबकि पुरुषों का आंकड़ा 63.3 फीसदी रहा था. भले ही लगभग 17 फीसदी के अंतर को 0.4 फीसदी लाने में छह दशक का समय लगा है, पर यह हमारी लोकतांत्रिक यात्रा की विशिष्ट उपलब्धि के रूप में रेखांकित होना चाहिए. राजनीतिक बराबरी का यह मोड़ सामाजिक और आर्थिक बराबरी के लिए ठोस आधार बन सकता है. महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा अभियान चलाया, जिसका शानदार परिणाम हमारे सामने है, परंतु हमारी राजनीति में अब भी पुरुषों का बड़ा वर्चस्व है. इस बार कुल आठ हजार उम्मीदवारों में महिलाओं की संख्या आठ सौ भी नहीं है. संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के हिसाब से भारत 193 देशों की सूची में 149वें पायदान पर है. इस मामले में हम बांग्लादेश, पाकिस्तान और सऊदी अरब से भी पीछे हैं. मौजूदा लोकसभा में सिर्फ 66 महिला सदस्य हैं. निश्चित रूप से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए यह बेहद चिंताजनक स्थिति है. एक ओर आज हर क्षेत्र में स्त्रियां आगे बढ़ रही हैं, वहीं उनके विरुद्ध अपराध भी बढ़ रहे हैं. पढ़ाई से लेकर पेशेवर जीवन तक तथा पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर उन्हें बाधाओं और चुनौतियों से जूझना पड़ता है. लोकतंत्र और विकास की गति को बेहतर करने के लिए महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य है.

ऐसे समय में, जब देश के अनेक हिस्सों में लिंगानुपात का स्तर चिंताजनक है तथा कार्य बल में भी महिलाओं की संख्या बहुत कम है, मतदान में उनकी बढ़त एक स्वागतयोग्य संकेत है.

खाड़ी में युद्ध के मंडराते बादल

पुष्पेश पंत
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार
pushpeshpant@gmail.com

पिछले कुछ महीनों से अमेरिका और ईरान के इस्लामी गणराज्य के संबंधों में तनाव निरंतर बढ़ता रहा है. इस बारे में दो राय नहीं हो सकती कि राजनयिक संकट को विस्फोटक रूप देने के लिए जिम्मेवार अमेरिका ही है. उसने ईरान के परमाण्विक कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए उसके विरुद्ध कड़े आर्थिक प्रतिबंध लागू किये और दूसरे राष्ट्रों को भी चेतानी दी कि जो कोई भी इन निषेधों का उल्लंघन कर ईरान के साथ व्यापारिक रिश्ते बरकरार रखेगा, उसे भी ऐसे ही प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा. जाहिर है कि ऐसा आचरण ईरान की संप्रभुता का खुलेआम तिरस्कार है, जिसकी कोई स्वीकृति अंतरराष्ट्रीय विधि में नहीं.

इस घड़ी अमेरिका ने अपना एक विमानवाहक पोत हॉर्मुज की खाड़ी में तैनाती कर दी है, जिसे ईरान की नाकाबंदी का एक और गैर-कानूनी प्रयास ही कहा जा सकता है. अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, नाविक नाकेबंदी (नेवल ब्लॉकेड) को युद्ध की कार्रवाई ही माना जाता है. क्यूबाई मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ पर दबाव बनाने के लिए भी ऐसी ही कार्रवाई की गयी थी. राष्ट्रपति ट्रंप निरंतर ईरान को भड़काने-उकसानेवाले बयान दे रहे हैं, जिनमें से नया यह है कि यदि ईरान ने युद्ध छेड़ने का दुस्साहस किया, तो सर्वशक्तिमान अमेरिका उसे नेस्तनाबूद कर देगा, उसका नामोनिशान बाकी नहीं रहेगा. इसके जवाब में ईरान की विदेश मंत्री का बयान संयत नजर आता है. उन्होंने सिर्फ इतना कहा है- जाने कितने आक्रमणकारी आये और गये, साम्राज्यों का उत्थान-पतन हुआ, पर ईरान की हस्ती बरकरार है. ईरान का कोई इरादा किसी पर हमला करने का नहीं है, पर यदि कोई ईरान के राष्ट्रहितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो वह पूरी शक्ति से अपनी रक्षा करेगा. यह जाहिर है कि ईरान की मुद्रा आत्मरक्षात्मक है, आक्रामक नहीं. राष्ट्रपति ट्रंप जान-बूझ कर ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि उन्हें यह कहने का मौका मिले की ईरान के किसी हमले के जवाब में ही उन्होंने अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए मजबूरन सैनिक कार्यवाही की है.

वास्तव में ईरान-अमेरिका की रस्साकशी मध्य एशिया की तेल की राजनीति से अभिन्न रूप से जुड़ी है और उसी में जोर-आजमाइश के उतार-चढ़ाव से प्रभावित होती रहती है. इराक, सीरिया और लीबिया को तबाह करने के बाद वहां अमेरिका अपनी इच्छानुसार सत्ता परिवर्तन कराने में कामयाब रहा है. सऊदी अरब और अबू धाबी के तेल संसाधनों पर तो पहले से ही उसका आधिपत्य था. इस पूरे इलाके में एक ईरान ही है, जिसके तेल पर अमेरिका का कब्जा नहीं. यह याद रखने लायक है कि 1945-46 में एंग्लो-अमेरिकन ऑयल कंपनी का ही प्रभुत्व ईरान पर था और वहां के देशप्रेमी प्रधानमंत्री मोसादिक का तख्तापलट अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआइए की साजिश से ही हुआ था और उसके बाद अमेरिका ने अपने मोहरे के रूप में रजाशाह पहलवी को इस्तेमाल किया. अमेरिका की चिंता (सामरिक और आर्थिक) तब से बढ़नी शुरू हुई, जब से इस्लामी क्रांति के बाद रजाशाह अपदस्थ हो गये. तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर ने सैनिक हस्तक्षेप द्वारा अमेरिकी दूतावास में बंधक बनाये अमेरिकी राजनयिकों को छुड़ाने का असफल प्रयास किया और तभी से अमेरिका और ईरान के संबंध दुश्मनों जैसे हो गये हैं.

ईरान के तेल पर कब्जा करने का अमेरिका का मकसद जापान तथा यूरोप के अपने संधिमित्रों पर अपना आधिपत्य कायम रखना है. भारत अमेरिका का पिछलगुवा कभी नहीं बन सकता.

ईरान ने अपनी आत्मरक्षा के लिए एक परमाण्विक कार्यक्रम आरंभ किया और यही अमेरिका के गले ही हड्डी बन गया है. अमेरिका को लगता है कि यदि ईरान ने परमाण्विक अस्त्र बना लिये, तो वह भी उत्तरी कोरिया की तरह उसका भयादोहन करता रहेगा. अमेरिका ने ईरान को निहत्था बनाने के लिए दोहरी रणनीति अपनायी है. एक ओर वह उसे आर्थिक व तकनीकी सहायता का प्रलोभन देता है, तो दूसरी ओर आर्थिक प्रतिबंध लगा कर उसके बाजू मरोड़ता है. कुछ सामरिक विद्वानों का यह भी मानना है अमेरिका इस्त्राइली गुप्तचर संस्था मोसाद के माध्यम से ईरानी परमाण्विक वैज्ञानिकों की हत्या की साजिश में भी लिप्त रहा है. भले ही यह बात किसी अदालत में प्रमाणित न की जा सकी हो, पर अनेक ऐसी दुर्घटनाएं हुईं हैं, जिन्हें मात्र संयोग नहीं कहा जा सकता.

अभी हाल में राजनयिक समर्थन के लिए ईरानी विदेश मंत्री ने भारत की यात्रा की थी, पर चूंकि पूरा देश लोकसभा चुनावों में व्यस्त था, तो उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिल सका. सिर्फ यह कहा गया कि ईरान से तेल की खरीद के मामले में नयी सरकार ही कोई फैसला करेगी. यहां यह उल्लेख जरूरी है कि अमेरिकी दबाव में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में और अन्यत्र कई ऐसे फैसले लिये हैं, जिन्होंने ईरान को निराश ही किया है. लगता है कि अमेरिकी दबाव में भारत ईरान में ही नहीं, खाड़ी प्रदेश में भी अपने आर्थिक और सामरिक हितों को नजरअंदाज करने के लिए तैयार हो गया है. भारत से अधिक साहस तो अमेरिका के यूरोपीय संधिमित्रों ने ही दिखाया है, जिन्होंने युद्ध की धमकी से नहीं, बल्कि राजनीतिक संवाद से ही ईरान से विवाद निबटाने का प्रयास किया.

राष्ट्रपति ट्रंप आज उस सौभाग्यशाली स्थिति में हैं, जब अमेरिका को अपनी ऊर्जा सुरक्षा को निरापद रखने के लिए ईरान के तेल की दरकार नहीं. इतना ही नहीं, वह पूरे मध्य एशिया के तेल पर भी निर्भर नहीं. समुद्र के गर्भ में शैल तेल से उसकी अपनी सारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं. ईरान के तेल पर कब्जा करने का अमेरिका का एकमात्र मकसद जापान तथा यूरोप के अपने संधिमित्रों पर अपना आधिपत्य कायम रखना है. भारत के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि दूरदर्शिता इसी में है कि वह अमेरिकी हितों को अपना राष्ट्रीय हित न समझे. जिस तरह भारत और चीन के सामरिक हितों में अनिवार्य टकराव है, उसी तरह भारत और अमेरिका के हितों में भी अंततः बुनियादी टकराव है. भारत अमेरिका का पिछलगुवा कभी नहीं बन सकता, जिस तरह चीन अमेरिका के सामने दूसरे नंबर का पद स्वीकार नहीं कर सकता. कहने का अभिप्राय यह नहीं कि हम अमेरिका तथा चीन अथवा रूस के समकक्ष हैं, पर निश्चय ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की और अग्रसर होता भारत अपनी संप्रभुता या स्वायत्ता के साथ समझौता नहीं कर सकता. ईरान का विरोध करने में अमेरिका का साथ देने की जो कीमत हमें मिल सकती है, वह मीठी शरबत में जहर का ही घूंट साबित हो सकती है. यहां हम ईरान के साथ अपने हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक संबंधों की दुहाई नहीं दे रहे, बल्कि सच कह रहे हैं.

बोधि वृक्ष

परमात्मा

भौगवादी कामसाधना में ही रत रहते हैं. वे जातिवाद, राष्ट्रीयतावाद, सांप्रदायिकतावाद को लेकर ही व्यस्त रहते हैं. वे एक विशेष समाज, विशेष राष्ट्र, एक विशेष संप्रदाय के लोगों के प्रति विषोद्गार करते रहते हैं. जातिभक्ति, समाजभक्ति या देशभक्ति जैसी बातों में खंडप्रेम या काम है. इस प्रकार के सीमित प्रेम को भक्ति की आख्या नहीं देना ही संगत है. जो सचमुच भक्त हैं, वे विश्व की प्रत्येक सत्ता को समान रूप से प्यार करेंगे. भोगवादी विश्व प्रेम का जो अभिनय करते हैं, असल में वह चोरी का फंदा छोड़ और कुछ नहीं हैं. मनुष्य संपूर्ण रूप से मानसिक तृप्ति के लिए कार्य करता जाता है. जागतिक स्थूलभोग्य वस्तु वह नहीं चाहता है. वह मानसिक वस्तु चाहता है- नाम-यश पाने की आशा में वह कार्य करता जाता है. इसलिए शुद्ध भाव-संघात संभवतः जड़-संघात से सूक्ष्म चीज है, किंतु इससे भी मनुष्य जाति का कितना कल्याण हो सकता है? शिक्षित तथा बुद्धिमान लोगों को भी देखते रहते हैं कि रुपये का लोभ नहीं रहने पर भी नाम-यश के लोभ से अन्य के प्रति रात दिन कीचड़ उछालते रहते हैं. इस प्रकार का भाव-संघात क्या मनुष्य के मन को सूक्ष्मत्व की ओर ले जा सकता है? बृहत के आकर्षण के व्यतिरेक में जीवन रस में कोई माधुर्य नहीं रहता है. जैसा मन का ध्येय होगा, उसी प्रकार की मन की संरचना भी होती रहेगी. मानस विषय यदि जड़ हो, तो उसकी भावना से मन भी क्रमशः जड़ होता रहेगा और अंत में ध्येय विषय को छोड़ कर कुछ और भी वह मानना नहीं चाहेगा. इसलिए हम देखते रहते हैं कि जड़ाश्रयीवाद के समर्थक दूसरे की युक्तिपूर्ण बात को भी ग्रहण करने में असमर्थ हो जाते हैं और अपने युक्तिहीन आचार अनुष्ठान को आंख-कान बंद कर रखना चाहते हैं. वे कहते रहते हैं कि इतनी सब सूक्ष्म बातें मुझे जान कर ही क्या लाभ मिलेगा- सोचकर ही क्या लभ मिलेगा? अच्छी तरह तो हूं. इस प्रकार के मनुष्य को जड़ की भावना बार-बार जड़ देह धारण करने के लिए बाध्य करती है. जहां ध्येय परमात्मा हैं, वही जीव की निरंकुश प्रगति होती रहती है.

श्री श्री आनंदमूर्ति

बैंकों पर कसती लगाम

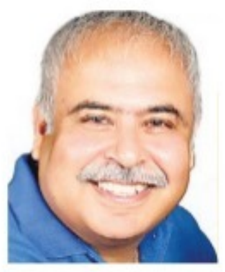

जगदीश रत्तनानी
वरिष्ठ पत्रकार
editor@thebillionpress.org

आरबीआइ की मार्गदर्शिकाओं का मकसद यह है कि बैंक भलीभांति पूंजीकृत रहते हुए हर किसी को और सब किसी को वित्त प्रदान नहीं करें और इसी उद्देश्य से उनके सीइओ को भुगतेय प्रतिफलों पर भी विशेष रोक-टोक लगायी गयी है.

भुगतान की गयी किन्हीं राशियों की वसूली अमेरिका के लिए कोई असामान्य घटना नहीं है. कंपनी के किसी ऐसे पूर्व उच्चाधिकारी से की जा रही ऐसी वसूली उसके हितभागियों के लिए खासकर तब और भी संतोष की वजह बन जाती है, जिसने अपने कारनामों से उस कंपनी की साख पर चोट पहुंचायी हो. अब यह परिपाटी भारत में भी प्रारंभ हुई है, जब विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र में ऐसी मार्गदर्शिकाएं लागू की गयीं, जो किसी उच्चाधिकारी के पद छोड़ने के बाद भी उसे उसके पूर्व कृत्यों के लिए जिम्मेदार ठहराती हैं.

अभी पिछले ही सप्ताह ऐसी रिपोर्टें आयीं कि निजी क्षेत्र के देश के चौथे सबसे बड़े बैंक, यस बैंक ने, जिसने अपने पूर्व प्रकवर्तक तथा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सीइओ) राना कपूर के मार्गदर्शन में वृद्धि एवं विकास के कीर्तिमान स्थापित किये थे, उनसे 1.44 करोड़ रुपये के पूर्व बोनस वापस करने को कहा. यह वसूली आरबीआई की उस मार्गदर्शिका के अनुरूप ही है, जो किसी सीइओ को भुगतेय प्रतिफलों के संबंध में नियमों को और भी कठोर कर रहा है. आइसीआइसीआइ बैंक ने भी अपनी शक्तिशाली पूर्व सीइओ चंदा कोचर से उन्हें दिये बोनसों और कंपनी के शेयरों की हिस्सेदारी वापस करने को कहने का फैसला किया है.

बैंकिंग का व्यवसाय कम से कम सिद्धांत रूप में तो बिल्कुल ही सरल एवं सीधा है. जिनके पास पैसे हैं, उनसे उसे लेकर बैंक उसे ऋणस्वरूप उन्हें देता है, जिन्हें उसकी जरूरत है. इस तरह बैंक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए बदले में मुनाफा कमाते हैं. बैंक भी एक व्यवसाय है, पर इसमें किसी को भी हाथ डालने की खुली अनुमति इसलिए नहीं दी जाती, क्योंकि उसमें जनता के, न कि शेयरहोल्डरों के, पैसे लगे होते हैं. यही वजह है कि यहां आरबीआइ को बैंकों पर मजबूत नियामकीय निगाह रखने की शक्ति प्रदान करते हुए उसे उनके लिए वे सीमाएं तय करने की जिम्मेदारी दी गयी है, उन्हें जिनके अंदर अपना परिचालन सुनिश्चित करना होता है. इन विनियमों का प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न जोखिमों से, खासकर दिवालियेपन से बैंकों की रक्षा करना है, ताकि लोगों के पैसे सुरक्षित रहें.

आरबीआइ की मार्गदर्शिकाओं का मकसद यह है कि बैंक भलीभांति पूंजीकृत रहते हुए हर किसी को और सब किसी को वित्त प्रदान नहीं करें और इसी उद्देश्य से उनके सीइओ को भुगतेय प्रतिफलों पर भी विशेष रोक-टोक लगायी गयी है. बैंकिंग विनियमन अधिनियम में एक खास तौर से स्पष्ट एवं सारगर्भित प्रावधान वह है, जो यह साफ करता है कि क्या और किस तरह विनियमित किया जाना है. यह कहता है कि 'कोई भी बैंकिंग कंपनी न तो ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है, न ही उसकी नियुक्ति जारी रख सकती है, जिसे मिलनेवाले प्रतिफल, रिजर्व बैंक की दृष्टि में अत्यधिक हैं.'

यह सही है कि बैंकिंग प्रणाली अब बहुत ज्यादा जटिल हो चुकी है, जिसकी कामकाजी भाषा एवं साख उसके अंदर पनप रही बीमारियां छिपा ले जाती हैं. उदाहरण के लिए यस बैंक द्वारा अपनी परिसंपत्ति की रिपोर्ट तथा आरबीआइ की निगाह में उसकी वास्तविक स्थिति के बीच 'भिन्नता' और उस पर आरबीआइ की अप्रसन्नता को लिया जा सकता है, जिसके आलोक में राना कपूर को अंततः इस वर्ष के शुरू में अपना पद छोड़ना पड़ा. बैंक की परिसंपत्ति में 'भिन्नता' की रिपोर्ट एक ऐसा तरीका रहा है, जिसके दुरुपयोग द्वारा नियमों के भारी उल्लंघन को भी एक सामान्य घटना बताया जा सकता था.

अपनी रिपोर्ट में 31 मार्च, 2017 की स्थिति के संबंध में यस बैंक ने अपने सकल डूबत ऋणों की राशि लगभग 2018.557 करोड़ रुपये बतायी, जबकि आरबीआइ ने इसके 8373.757 करोड़ रुपये होने का अनुमान किया, जिन दोनों के बीच 'भिन्नता' का अनुपात 300 प्रतिशत पहुंच गया. इसी तरह इसी तिथि के लिए उसके शुद्ध डूबत ऋणों की रिपोर्ट एवं आरबीआइ द्वारा किये गये उसके अनुमान में भी 450 प्रतिशत की 'भिन्नता' थी.

कुछ ऐसी ही स्थिति निजी क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक एक्सिस बैंक की थी, जिसके सीइओ ने भी उक्त पद पर अपने लिए एक और कार्यकाल की मांग न करना ही सही समझा. दरअसल, बैंकों द्वारा की गयी ऐसी रिपोर्टें 'छिपाने' से लेकर 'गलत रिपोर्ट करने' तक के बीच कहीं भी रखी जा सकती हैं. ऐसी गलतियों के दोषी बैंक के सीइओ को जिम्मेवार बनाने के अतिरिक्त आरबीआइ की जिस एक और कार्रवाई ने सारा फर्क पैदा किया, वह दोषी बैंकों के नाम एवं उनकी रिपोर्ट में पायी गयी ऐसी 'भिन्नताओं' को सार्वजनिक करना है.

आरबीआइ ने अब ऐसी किसी भिन्नता द्वारा 15 प्रतिशत की सीमा रेखा पार किये जाने पर उसकी रिपोर्ट करने को बाध्यकारी बना दिया है, क्योंकि जब ऐसी गड़बड़ियां प्रकाश में आती हैं, तभी उन्हें दोहराने की प्रवृत्ति पर लगाम लग सकती है. ऐसे खुलासों से आरबीआइ तथा बैंक दोनों ही सतर्क रहेंगे. और अंत में, यही कहा जाना चाहिए कि इन मामलों में ऐसी कम-से-कम चीजें गोपनीय रखी जायें, क्योंकि जो कुछ दांव पर लगा है, वह भारत की सामान्य जनता का विश्वास एवं भरोसा है.

(अनुवाद : विजय नंदन)

आपके पत्र

प बंगाल में चुनावी हिंसा

पूरी दुनिया में निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव कराना हमारी पहचान रही है, लेकिन इस बार चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में लोगों को मतदान करने से रोकने की कोशिश की गयी तथा डराया-धमकाया गया. हालात तो ऐसे थे कि लोग सकुशल मतदान करके लौटने पर भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे. आश्चर्य की बात है कि सभी सातों चरणों में इस राज्य में हिंसा हुई. जो नेता एक-एक वोट के लिए गिड़गिड़ाते हैं, आम लोगों को सर पर बैठाते हैं, वही नेता कुर्सी पर बैठने के बाद तानाशाही पर कैसे उतर जाते हैं? संविधान में नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार मिला हुआ है, लेकिन सूबे की मुख्यमंत्री को लोगों का 'जय श्री राम' बोलना बुरा लगता है और वह उन्हें राज्य से निकालने की धमकी दे डालती हैं. नेताओं का यह बरताव असहनीय है. स्थिति भयावह है और हिंदुस्तान की गरिमा बनाये रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की दखलअंदाजी जरूरी है.

उत्सव रंजन, नीमा, हजारीबाग

राष्ट्रवाद का मुद्दा जरूरी

लोकसभा चुनाव का सातवां और आखिरी चरण संपन्न हो गया. अब सभी को 23 मई को परिणाम का इंतजार है कि सरकार एनडीए की बनती है या यूपीए की? वैसे तो अधिकांश न्यूज एजेंसियां अपने एग्जिट पोल से एनडीए की सरकार बनने का दावा कर रही हैं. एक ओर जहां सत्ता पक्ष एग्जिट पोल के परिणाम से खुशियां मना रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष एग्जिट पोल पर भरोसा न करने की नसीहत दे रहा है. हालांकि यह जरूरी नहीं कि एग्जिट पोल के नतीजे सही ही हों, परंतु एक बात तो तय है कि इतनी सारी न्यूज एजेंसियों के एग्जिट पोल के एक जैसे परिणाम के गलत होने की संभावना बहुत कम है. अगर देश में एनडीए की सरकार फिर से बनती है, तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि लोगों ने राष्ट्रवाद के मुद्दे को प्राथमिकता दी है. वैश्विक हालत भी सामाजिक मुद्दों के बजाय राष्ट्रवाद के मुद्दे को ही प्राथमिकता देने का इशारा कर रहा है.

शुभम गुप्ता, धनबाद

गोड्डा में बिजली को लेकर हाहाकार

गोड्डा में विद्युत संचरण व्यवस्था विगत कई वर्षों से चौपट है. एक तरफ जहां विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो रही है, वहीं इस भीषण गर्मी में अस्वस्थ नवजातों का क्रंदन कलेजा चीर देता है. प्रत्येक अस्पताल व शिशु रोग विशेषज्ञ के क्लिनिक के बाहर रोते-बिलखते बच्चों को गोद में लिये माता-पिताओं की भीड़ स्थिति की विकरालता को उजागर करती है. विभाग के कार्यपालक अभियंता सहित अन्य सक्षम पदाधिकारी संतोषजनक जवाब देने में भी असमर्थ हैं. कथित मेंटेनेंस के नाम पर मनमाने तरीके से बिजली काटी जा रही है. गोड्डा के ललमटिया खदान के कोयले से पड़ोसी राज्य के जिले बीस से बाइस घंटे रोशन हो रहे हैं और गोड्डा में मात्र तीन से चार घंटे बिजली रहती है. गोड्डा की जनता राज्य सरकार को त्राहिमाम संदेश देकर त्वरित संज्ञान की विनती करती है.

सुरजीत झा, गोड्डा

कुछ अलग

पेड़ पर चढ़ने की कला

क्षमा शर्मा
वरिष्ठ पत्रकार
kshamasharma1@gmail.com

बेलपत्र के पेड़ों पर ढेरों बेल लगे हैं. जामुन के मौसम में आसपास लगे जामुन के पेड़ जामुनों से भर जाते हैं. आम के पेड़ भी असंख्य आमों से भरे झूमने लगते हैं. हालांकि, इस बार आम कम दिखायी दे रहे हैं.

अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, जब बच्चों की टोली फलदार पेड़ों पर नजर रखती थी. जिनके घर में या घर के बाहर या बगीचे में फलदार पेड़ होते थे, वे भी इन बच्चों रूपी बंदरों पर नजर रखते थे. हमेशा आंख-मिचौली चलती रहती थी. सबसे अच्छा मौका बच्चों को दोपहर में मिलता था, जब गर्मी के दिनों में लोग झपकी लेते थे, आंख लग जाती थी.

कई-कई बच्चे कूदते हुए पेड़ों पर चढ़ जाते थे. नीचे बच्चे झोली फैला कर खड़े हो जाते थे. बच्चे फल तोड़ कर झोली में फेंकते जाते थे. कई फल नीचे गिर कर फट जाते थे, लेकिन बच्चे उन्हें भी उठा लेते थे.

पेड़ों पर चढ़ने के भी सबके तौर-तरीके अलग-अलग थे. कोई दोनों हाथों से तने को पकड़ कर चढ़ता था, तो कोई नीचे झुकी डाली पकड़ कर. खजूर, नारियल, बेलपत्र आदि के कांटेदार पेड़ पर खिसक-खिसक कर कांटों से बच कर चढ़ते थे. कई बार जहां दो डालियां मिलती हैं, वहां बैठने की जगह बन जाती है, वहीं बैठ कर भी फल खाने का आनंद लिया जाता था. कृषि समाज के लोग, गांव में रहनेवाले बच्चे पेड़ पर चढ़ना, नदी में नहाना, तालाब में तैरना, बहुत आसानी से सीख जाते थे. और बड़े भी उनकी मदद करते थे.

शहरों में बस गयी पीढ़ियां अब पेड़ों पर चढ़ना भूल चुकी हैं. फल तोड़ने के लिए भी किसी की बाट जोहनी पड़ती है. कोई मिला तो मिला, वरना पेड़ पर लगे फल यों ही सूख जाते हैं. आम तोड़ने के लिए भी हंसिया लगा बांस, जिसे लग्गी कहते हैं, कहीं-कहीं उसका प्रयोग किया जाता है. वरना तो डंडे मार-मार कर या पत्थर मारकर फल तोड़ने की कोशिश की जाती है. बेचारे पेड़, एक तो फल दें, ऊपर से डंडे और पत्थरों की चोट खाएं, यानी कि जो फल दे उसे अक्सर चोट खाने को ही मिलती है.

जामुनी मौसम में तो इतने जामुन पेड़ों से गिरते हैं कि उनके नीचे की जमीन बैंगनी रंग में रंग जाती है. शहरों में गिरा फल उठाना भी अपनी हैसियत के खिलाफ माना जाता है. जबकि गांवों में पेड़ के नीचे गिरे फलों को उठाने की होड़ लगी रहती थी. जिन फलों को हम बाजार से खरीद कर लाते हैं, उनके बारे में क्या पता कि वे कैसे तोड़े गये. वैसे भी इन दिनों फल पकने का इंतजार शायद ही कोई करता है. कच्चे तोड़ कर रसायनों से पकाये जाते हैं, इसलिए उनमें वह खुशबू और स्वाद भी नहीं, जो पेड़ पर पके फल में मिलता है.

बहुत सी नामालूम-सी बातें अब हमारी हैसियत का पर्याय बना दी गयी हैं. वक्त बदला है, मगर हमारे स्वाद, रस-रंग, गंध, पेड़ पर चढ़ने की कलाएं, फल तोड़ने के तौर-तरीके, उनके पकने का स्वाद क्यों भुला दिया जाये. अपने पुरखों के अनुभवजन्य ज्ञान को भुलाने से कोई आगे नहीं बढ़ता.

देश दुनिया से

लीबिया में पानी आपूर्ति बाधित करने की कोशिश

लीबिया के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवीय समन्वयक ने पश्चिमी और मध्य लीबिया में कुछ अराजक तत्वों द्वारा पानी की आपूर्ति रोकने की निंदा करते हुए कहा है कि पानी इंसान के जीवन के लिए बहुत जरूरी तत्व है, इसमें कटौती नहीं की जानी चाहिए. गौरतलब है कि लीबिया के अल-शारीफ शहर में कुछ बंदूकधारियों ने पानी आपूर्ति स्टेशन पर धावा बोल कर पानी की आपूर्ति बाधित कर दी और पश्चिमी एवं मध्य क्षेत्र में पानी जाने से रोक दिया. लीबिया में संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकार है, जिसके आंतरिक मंत्रालय ने यह जानकारी दी. संयुक्त राष्ट्र मानवीय समन्वयक मारिया रिबेरियो ने कहा है कि पानी की कटौती नागरिकों की बुनियादी जरूरतों के खिलाफ है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इससे नागरिकों में अपराध-युद्ध की स्थिति बन जायेगी. रिबेरियो ने यह भी ध्यान दिलाया कि अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों के मुताबिक लीबिया के नागरिकों के लिए साफ पानी मुहैया कराना उनको बुनियादी हक देना है. यही नहीं, उन्हें स्कूल, अस्पताल, बिजली, जनसुविधाएं आदि भी जरूरी हैं. पानी की इस तरह कटौती से नागरिकों को साफ पानी नहीं मिलेगा, तो वे आगे चल कर बीमारियों का शिकार हो जायेंगे.

GLOBAL TIMES

कार्टून कोना

साभार : कार्टूनमूवमेंटडॉटकॉम

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है